

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :-सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:-48/2021

प्रार्थी:-

प्रेमसिंह पुत्र खेतसिंह जाति रजापूत निवासी पीपलूण तहसील सिवाना जिला
बालोतरा

--:बनाम:-

विप्रार्थीगण:-

1. कुकाराम पुत्र देवाराम
2. गट्टु पत्नी अचलाराम
3. छगनी पत्नी कानाराम
4. धुंकाराम पुत्र सालुराम
5. निम्बाराम पुत्र अचलाराम
6. पदमाराम पुत्र देवाराम
7. पूनारामपुत्र देवाराम के कायम मुकाम
6/1 दिनेश पुत्र पूनाराम
6/2 हंजा पत्नी पूनाराम
8. पानीदेवी पत्नी देवाराम
9. बाबराराम पुत्र गेपवाराम
10. वसनाराम पुत्र अचलाराम
11. हडमानाराम पुत्र गेपाराम
12. हराराम पुत्र कानाराम

सभी जाति रबारी सभी निवासी गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

13. भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना जिला बालोतरा
14. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित:-1. श्री खीमाराम वकील प्रार्थी

2. विप्रार्थी संख्या 1 से 14 अनुपस्थित

::आदेश::

दिनांक:- 30.10.25

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं.

130/30 रकबा 0.4856 हैक्टेयर ग्राम गोलिया तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस

पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के

खातेदारी भूमि में आवगमन के मात्र रास्ता उत्तर पश्चिम सेढे पर स्थित विप्रार्थी स. 1

उपखण्ड अधिकारी से 12 की खातेदारी भूमि ख.स. 27 है। प्रार्थी को अपने खेत से आवगमन हेतु
सिवाना (बालोतरा)



आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 से 12 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयंत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 12 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 12 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थीगण के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 12 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत 130/30 रकबा 0.4856 हैक्टेयर से उत्तर पश्चिम सेढे पर स्थित विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 27 में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाए गया रास्ता ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 130/30 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संख्या 1 से 12 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 27 में से 47 गठठा (95 मीटर)

लम्बाई व 2 गठ्ठा (4 मीटर) चौड़ाई कुल 0.0380 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न बरंग लाल में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 12 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 130/30 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के खातेदारी खसरा संख्या 27 में से 47 गठ्ठा (95 मीटर) लम्बाई व 2 गठ्ठा (4 मीटर) चौड़ाई कुल 0.0380 हैक्टेयर भूमि में से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थी को विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के खसरा संख्या 27 में से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के खातेदारी भूमि में से रास्ते हेतु 47 गठ्ठा (95 मीटर) लम्बाई व 2 गठ्ठा (4 मीटर) चौड़ाई कुल 0.0380 हैक्टेयर भूमि हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोलिया तहसील सिवाना की खसरा संख्या 130/30 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 27 में से 47 गठ्ठा (95 मीटर) लम्बाई व 2 गठ्ठा (4 मीटर) चौड़ाई कुल 0.0380 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 12 को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जावे तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 12 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि



उपखण्ड अधिकारी लेने से इन्कार की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाया सिवाना (बालोतरा)

जाने के पश्चात तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक-राजस्व/2023/148 दिनांक 01.02.2023 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)


ऑडिओ नक्शा ऑनलाइन ट्रेस (जोरो कॉपी)

मौजा - गोलिया

तहसील - सिवाना

पैमाना 1 : 2000

प्रमाणित
उतिलिपि



संकेत :-



प्रस्तावित रास्ता मार्क सं. A से B तक

Ex-Count



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)



तहसीलदार सिवाना

सरकारी प्रयोजनार्थ
निःशुल्क जारी
किया।



14-01-23
सौवलराम

निरीक्षक (भू.अ.) सिवाना
तहसील-सिवाना (बाडमेर)


14/01/2023
प. गोलिया